रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 1972/माघ 16, 1893
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1972/MAGHA, 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th February 1972

SUBJECT:—*Import and export of goods from and to Afghanistan by direct flights between India and Afghanistan.*

No. 21-ITC(PN)/72.—Attention is invited to Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/71 dated the 31st July, 1971, No. 157-ITC(PN)/71, dated the 15th November, 1971, No. 10-ITC(PN)/72, dated the 22nd January 1972 and the Ministry of Foreign Trade Order No. 9/71, dated 4th December, 1971 and Order No. 10/71 dated 11th December, 1971.

2. It has now been decided that imports and exports of goods from and to Afghanistan may be permitted by direct flights between India and Afghanistan, subject to the following conditions that:

(i) the flights should not touch any place in Pakistan;

(ii) in respect of exports from India to Afghanistan the approved importer should produce a landing certificate issued by the Afghan Customs authorities at Kabul, within 15 days of the arrival of the goods to the concerned licensing authority in India/Reserve Bank of India.

3. Failure to produce the requisite landing certificate will render the approved importer liable to penal action under the Import Trade Control/Foreign Exchange rules and regulations.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports &Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

विषय.—भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधी उड़ानों द्वारा माल का अफगानिस्तान से आयात और भारत से अफगानिस्तान को निर्यात —

सं० 21-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 93–आईटीसी (पीएन) /71, दिनांक 31 जुलाई, 1971, संख्या 157–आईटीसी (पीएन) /71, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 संख्या 10 आईटीसी (पीएन) 172, दिनांक 22 जनवरी, 1972 और इसी मंत्रालय के आदेश संख्या 9/71 दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 और आदेश संख्या 10/71 दिनांक 11 दिसम्बर, 1971 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि माल का अफगानिस्तान से आयात करने और अफगानिस्तान को निर्यात करने की भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधी उड़ानों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाये, कि : —

(i) उड़ान पाकिस्तान के किसी स्थान को स्पर्श न करे ;

(ii) भारत से अफगानिस्तान को निर्यातों के सम्बन्ध में अनुमोदित आयातक को काबुल में अफगान सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक अवतरण प्रमाणपत्र भारत/रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को माल पहुंचने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए ।

3. अपेक्षित अवतरण प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने में अनुमोदित आयातक की असफलता पर आयात व्यापार नियंत्रण / विदेशी मुद्रा विनिमय नियमों तथा विनियमों के अधीन दंडात्मक कार्यवाई की जाएगी ।

एम० एम० सेन,

मख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972